




CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN



क्र. रा.के.वि./फा./76/2026/5932

दिनांक: 15 JUN 2026

खुली बोली / नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी परिसर के लगभग 88 एकड़ भूमि में छोटे बड़े विलायती कांटेदार झाड़ियों सहित व अन्य झाड़ीनुमा पोधो को जड़ो सहित उखाड़ कर ले जाने हेतु इन झाड़ियों-पौधो की उपलब्धता जैसे है वैसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नीलामी की जाएगी, अतः जो भी व्यक्ति / संस्था नीलामी में भाग लेना चाहे वो विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर दिनांक 18.06.2026 (गुरुवार) को 3.00 बजे तक परिसर में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। खुली बोली पर नीलामी निविदा की सभी शर्तों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.curaj.ac.in](http://www.curaj.ac.in) पर उपलब्ध है अथवा सम्पदा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे) तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी:

1. विलायती बबूल तथा कांटेदार झाड़ियों को उखाड़ने से होने वाले खड्डों को उसी समय साफ कर समतल करना होगा।
2. परिसर में लगे खेजड़ी के पेड़ / पोधो को पहले से चिन्हित कर उनको संरक्षित करना अनिवार्य है क्योंकि खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के राजकीय पोधे के तौर पर अधिसूचित है।
3. विश्वविद्यालय परिसर में लगे हुए पोधो जैसे खेजड़ी, नीम अन्य फलदार एवं छायादार छोटे-बड़े पेड़ को उखाड़ने की अनुमति नहीं होगी।
4. विलायती बबूल को उखाड़ने के दौरान प्राप्त होने वाले पत्थरों को ही निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा। अन्य पत्थरों को हटाना कार्य के दायरे में सम्मिलित नहीं होगा।
5. इस कार्य को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 45 दिन में पूर्ण करना होगा।
6. कटी हुई झाड़ियों/लकड़ी को कार्य पूर्ण होने के पश्चात एकमुश्त बाहर ले जाने की शर्त के सन्दर्भ में प्रस्तावित है कि ठेकेदार को सप्ताह में से दो दिन (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित) सामग्री बाहर ले जाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वीकृत बोली राशि का 100% भुगतान अग्रिम रूप से जमा कराया जाएगा।

7. कटी झाड़ियों को बाहर ले जाने वाले वाहनों द्वारा रोड पर होने वाला कचरा, गंदगी भी आपके द्वारा ही साफ़ करवानी होगी. जब तक कटी झाड़ियाँ विश्वविद्यालय परिसर में रहे तब तक इसके रख - रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. इस कार्य के लिए आपके द्वारा लगाये गए मजदूरों को विश्वविद्यालय परिसर में रात के समय ठहरने तथा कच्चा - पक्का निर्माण करने आदि की अनुमति नहीं होगी।
9. इस कार्य के लिए आने - जाने वाले मजदूरों को रोजाना गेट पर एंट्री करवानी होगी।
10. इस कार्य के लिए अंतिम भुगतान राशि वास्तविक माप (Actual measurement) के आधार पर मानी जाएगी जो की कम या ज्यादा हो सकती है।
11. उपरोक्त कार्य के दौरान आप भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देश / गाइडलाइनों / नियमों, वैधानिक अनुपालना आदि को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।
12. उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर अग्रिम जमा राशि जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
13. यह कार्य करने के लिए कार्य को 2 भू-भाग में बिभाजित करना होगा
  - प्रशासनिक भवन के दाहिनी ओर स्थित क्षेत्र (43.52)।
  - प्रशासनिक भवन के बाईं ओर स्थित क्षेत्र (44.32)।
14. बोली मान्य व अमान्य करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा।
15. बोली लगाने वाले ठेकेदार / फर्म का बैंक में खता होना आवश्यक है।
16. नीलामी के लिए आधार मूल्य—8,100 रुपये आधिकारिक तौर पर आदेशित है।
17. बोलीकर्ताओं से अपेक्षित है कि संलग्न नक्शे में निर्देशित क्षेत्रों को बोली लगाने से पहले वास्तविक रूप से निरीक्षण करले।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति सचिवालय
2. कार्यालय वित्त अधिकारी
3. सम्पदा विभाग / सुरक्षा अधिकारी
4. कार्यालय उप-जिला अधिकारी / तहसीलदार, किशनगढ़
5. कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़
6. विश्वविद्यालय नीलामी समिति
7. सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय परिसर

  
 कुलसचिव  
 कुलसचिव / Registrar  
 राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
 Central University of Rajasthan